न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 023/2017

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 करमचंद पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी टाटगढ़ तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज0)।		1 सुआदेवी पत्नि कुमाराम।
		2 सोहनलाल पुत्र कुमाराम।
		3 रमेश कुमार पुत्र कुमाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत
		4 पिस्ता पुत्री कुमाराम पत्नि सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी देवली हुल्ला तहसील सोजत
		5 लता पुत्री कुमाराम पत्नि ढगलाराम जाति मेघवाल निवासी शेखावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला–पाली।
		6 शोभा पुत्री कुमाराम पत्नि हरजीराम जाति मेघवाल निवासी कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला–पाली।
		7 सुखाराम पुत्र मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली।
		8 तिलोकराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली।
		9 चौथी देवी पत्नि वीरमराम।
		10 जयराम पुत्र वीरमराम जातिगण मेघवाल निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत
		11 कुकी पत्नि रावतराम जाति मेघवाल निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली।
		12 रामचन्द्र पुत्र रावतराम जाति मेघवाल साण्डिया हाल निवासी मारवाड़ बिड़ला इन्डस्ट्रीज के पीछे रामगोपाल हंजा पोरबन्दर गुजरात।
		13. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री लक्ष्मण मेघवाल व श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्तागण प्रार्थीगण।

दिनाँक – 21.09.2020

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा साण्डिया तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि ख0नं0 1787 रकबा 1.1600 है0 किस्म बारानी अव्वल एवम् ख0नं0 1787/2008 रकबा 0.7600 है0 किस्म बारानी अव्वल स्थित है। इसी प्रकार ख0नं0 1783 रकबा 1.8900 किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 की खातेदारी कृषि भूमि है। ख0नं0 1784 रकबा 1.1600 है0 किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी संख्या 11 व 12 के पिता व पति रावत पुत्र धनाराम के नाम की खातेदारी ख0नं0 1785 रकबा 1050 है0 किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी संख्या 09 व 10 के नाम की खातेदारी तथा ख0नं0 1786 रकबा 1.0500 है0 किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी संख्या 8 तिलोक पुत्र धनाराम के नाम की खातेदारी की है। ख0नं0 1783 एवं 1784 की माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर राजस्व रेकर्ड में रास्ता है, जो परम्परागत रास्ता है व मौके पर चालू है। इसी रास्ते से शेष सभी ख0नं0 के खातेदार उत्तर से दक्षिण दिशा की ख0नं0 1784, 1785, 1786, 1783 एवं 1782 के बीचों–बीच दोनों खेतो की माठ के सहारे सहारे सदियों पुराना रास्ता जो कदीमी रास्ता है तथा आता जाता है, जो लाल स्याही से मार्क ए. बी. सी. डी. से माठ के सहारे सहारे दर्शाया गया है, जो रास्ता आगे उत्तर से दक्षिण की तरफ होकर आगे प्रार्थी के खेत ख0नं0 1787 एवं 1787/2008 में आता जाता है। इसी प्रकार शेष सभी ख0नं0 1782, 1788, 1789, 1790, 1792, 1781/2011 एवं 1781 उक्त सभी खेतों में आते जाते है। इसी प्रकार परम्परागत तरीक से कदीमी रास्ता होने से प्रार्थी एवं शेष सभी खातेदारान बैलगाड़ी, टैक्टर वगैरह से खेतों में फसल लाने ले जाने, निदाण करवाने, अवेराई, गुड़ाई हेतु आते जाते है तथा यही केवल मात्र माठ के सहारे सहारे पुरानी माठ दोनों खेतो के ख0नं0 1784, 1785, 1786 एवं 1783 व 1782 के बीचों बीच करीबन 15 फुट लम्बी चौड़ी माठ पड़ी है। जो कदीमी रास्ते के लिए ही है तथा यही प्रार्थी एवं शेष सभी खातेदारान का वैकल्पिक रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान के रास्ता अपने खेतो में आने जाने हेतु नही है। जिसे पुनः खुला करवाया जाना आवश्यक हैं तथा राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा एवं जमाबंदी में रास्ते को तरमीम करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान को अपने खेतों में जाने फसल लाने निराई–गुड़ाई एवं अवेराई हेतु व्यवधान पैदा होता है। इन्हे बार बार निवेदन करने पर भी अप्रार्थीगण नहीं मानते है, जिससे प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान परेशान है तथा पुरानी माठ दोनो खेतो के मध्य रास्ते हेतु थी, जिसे भी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में मिलाकर कदीमी रास्ते को रोक दिया गया है। हाल ही में मौके पर तारबंदी कर पूर्णरूप से रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। जिस तारबंदी को रास्ते से हटाया जाना न्याय संगत है, नक्शा प्रदर्श एक में दर्शाया गया मार्क ए बी सी डी रास्ता जो दोनो खेतो के बीच माठ पर रास्ता है। जिसे उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ खुला करवाया जाना

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली), राज

Scanned with CamScanner

आवश्यक है तथा सभी खातेदारान ख0नं0 1787, 1787/2008, 1788, 1789, 1790, 1791, 1781/2011, 1781के खेतो में भी इसी माठ के सहारे सहारे ख0नं0 1783, 1784, 1785, 1786 की बीचों बीच आना जाना होता है। अप्रार्थीगण से निवेदन करने पर भी नही माने तथा हमेशा के लिए रास्ता अवरूद्व करने की धमकियां देते हुए प्रार्थी एवं अन्य सहयोगी खातेदारानों का रास्ता रोक दिया गया है। जिससे प्रार्थी एवं अन्य खातेदारानों का रास्ता अवरूद्व होने के कारण खेतों में आना जाना बंद हो गया है एवं व्यवधान पैदा होता है। नक्शे में प्रदर्श एक में दर्शाये गए ट्रेस नक्शे में मार्क ए बी सी डी रास्ता जो माठ है तथा 15 फुट चौड़ा राजस्व रेकर्ड में एवं ट्रेस नक्शे में दर्ज करने एवं भविष्य में अप्रार्थीगण द्वारा कोई रूकावट पैदा नही करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) का प्रस्तुत किया गया है। मौके पर वर्तमान में मौजूदा स्थिति को रेकर्ड पर लेने हेतु तथा ख0नं0 1784, 1785, 1786 एवं 1783, 1782 के बीचो बीच की माठ से होकर जो रास्ता आगे जाता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने मौजा–साण्डिया में प्रार्थी व अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु ख0नं0 1782, 1783, 1784, 1785 व 1786 के बीचों बीच माठ पर 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रा0पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क लाल स्याही से ए, बी, सी, डी दर्शित आवागमन हेतु रास्ता दिलाये जाने तथा रास्ते को राजस्व रेकर्ड व राजस्व ट्रेस नक्शे में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3, 6, 8 से 12 को बावजूद नोटिसेज तामिली सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व दिनॉक 04.09.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनॉक 15.07.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 4, 5 व 7 द्वारा नोटिसेज तामिली से गुरेज करने अर्थात तामिली नहीं हो पाने के कारण अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 बाद विधिक सुनवाई स्वीकार किया जाकर अखबार साया करवाये गये। दैनिक नवज्योति प्रचलित समाचार पत्र दिनॉक 17.10.2019 पृष्ठ सं0 11 पर चस्पा/साया हाकर मूल अखबार की प्रति प्रस्तुत की गई, सा0मि0 है। बावजूद तामिली/सूचना प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशित/चस्पा करवाने पर अप्रार्थीगण संख्या 4, 5 व 7 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व दिनॉक 19.08.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनॉक 30.05.2017 को मजमा–ए–आम प्रस्तुत तहसीलदार, सोजत को तहरीर तैयार मौका फर्द सामिल मिसल है। तहसीलदार सोजत पत्रांक/कोर्ट/17/240–41 दिनॉक 23.04.2017, स्मरण –पत्रांक/कोर्ट/19/114–115 दिनॉक 06.02.2019 तथा 347–348 दि0 03.06.2019 के जरिए लिखा जाकर प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट की वस्तुस्थिति, वैकल्पिक साधनों (रास्ता) का अभाव, आत्यांतिक आवश्यकता एवं निकटतम उपलब्ध रास्ते की स्थिति तथा वर्तमान डी0एल0सी0 दर सूचना एवं रास्ते में जाने वाली भूमि क्षेत्रफल एवं प्रतिकर राशि गणना सूचना चाही गई। तहसीलदार, सोजत द्वारा भू0अ0 निरीक्षक, चण्डावल, पटवारी साण्डिया मय उपस्थित मौतबिरानों रूबरू तैयार की गई। मौका रिपोर्ट (फर्द मौका) मय नजरी नक्शा दिनॉक 15.09.2020 प्रस्तुत हुई सा0मि0 किया गया।

तहसीलदार, सोजत द्वारा पत्रांक/कोर्ट/2019/347–348 दिनांक 03.06.2019 द्वारा वांछित दिनॉक 21.09.2020 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट नजरी नक्शानुसार प्रार्थी करमचन्द द्वारा ख0नं0 1787 में आवागमन रास्ता हेतु ख0नं0 1784, 1785, 1786, 1787, 1782 व 1783 की मौका जांच में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

से कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए निर्धारित नियमानुसार रास्ता चाहा है मौका स्थिति अनुसार खं0नं0 1787 में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थी ने नजदीकी रास्ते से लगते हुए ख0नं0 1784, 1785, 1786, 1782, 1783 में रास्ता चाहा गया है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी के नजदीक पड़ता है रास्ता ख0नं0 1784 में से 0.0128 है0 (2X64) खं0नं0 1785 में से 0.0128 है0 (2X64) 1786 में से 0.0120 है0 (2X60) 1783 में से 0.0282 है0 (2X40) ख0नं0 1782 में से 0. 0104 है0 (2X52) कुल रकबा 0.0760 है0 रास्ता हेतु उपयोग/उपभोग में ली जायेगी। मौका फर्द उपस्थित मौकबारानो के बनाई गई। वर्तमान डी0एल0सी0 रेट (दर) अनुसार 150579 प्रति है0 है। इस प्रकार उपरोक्त रास्ते में जाने वाली 0.0760 है0 (प्रस्तावित भूमि) की कीमत 0.0760 X 2 X 150579 = 22888/— रूपये बनती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 1782, 1783, 1784, 1785 व 1786 रकबा 6.8200 की भूमि में से क्रमशः ख0नं0 1782 रकबा 1=7200 में से 0=0104 है0 (2X52), ख0नं0 1783 रकबा 1=8900 है0 मे से 0=0280 है0 (2X140), ख0नं0 1784 रकबा 1=1600 में से 0.0128 (2X64), ख0नं0 1785 रकबा 01=0000 मे से 0.0128 (2X64) तथा ख0नं0 1786 रकबा 1=0500 है0 मे से 0=0120 है0 (2X60) कुल रकबा 0.0760 है0 रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर 1,50,579/— रूपये प्रति हैक्टर की दोगुना प्रतिकर राशि 0.0760 X 2 X 150579 = 22888/— रूपये तहसीलदार सोजत, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी हल्का साण्डिया की मौतबिरान मौका रिपोर्ट/ फर्द मौका मय नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 1787 रकबा 0=1600 हैक्टर एवं ख0नं0 1787/2008 रकबा 0=7600 हैक्टर में आवागमन अर्थात आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, अत्यांतिक आवश्यकता एवं निकटतम रास्ते से कम दूरी का यही वैकल्पिक रास्ता है जिसका सुविधाजनक उपयोग हेतु उपयोग/उपभोग नहीं हो रहा है। फलतः धारा 251 ए के तहत् वर्णित तीनो बिन्दु बखूबी प्रमाणित है। लिहाजा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0 एक्ट 1955 अधिवक्ता मय प्रार्थी स्वीकार योग्य होने स्वीकार किये जाने तथा प्रतिकर की वांछित/देय राशि अप्रार्थीगण को प्रावधानुरूप भुगतान किये जाकर रास्ते हेतु भूमि उपलब्ध करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार, सोजत उपस्थित, ने प्रावधानारूप रास्ते की उक्त भूमि दिये जाने में कोई आपति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों मय दस्तावेजात नजरी नक्शा, तहसीलदार सोजत सोजत मय भू0अ0 निरीक्षक चण्डावल एवं पटवारी साण्डिया की मौतबिरानों के रूबरू तैयार मौका रिपोर्ट डी0एल0सी0 दर, रास्ते में जाने वाली भूमि रकबा नजरी नक्शे प्रतिकर गणना आदि की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन भी किया गया। यहॉ पर उल्लेख करना आवश्यक है कि :—" (i) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु नये मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है। वस्तुतः

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 1782, 1783, 1784, 1785 व 1786 रकबा 6.8200 की भूमि में से कमशः ख0नं0 1782 रकबा 1=7200 में से 0=0104 है0 (2X52), ख0नं0 1783 रकबा 1=8900 है0 मे से 0=0280 है0 (2X140), ख0नं0 1784 रकबा 1=1600 में से 0.0128 (2X64), ख0नं0 1785 रकबा 01=0000 मे से 0.0128 (2X64) तथा ख0नं0 1786 रकबा 1=0500 है0 मे से 0=0120 है0 (2X60) कुल रकबा 0.0760 है0 रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर 1,50,579/– रूपये प्रति हैक्टर की दोगुना प्रतिकर राशि तहसीलदार सोजत, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी हल्का साण्डिया की मौतबिरान मौका रिपोर्ट/ फर्द मौका मय नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 1787 रकबा 0=1600 हैक्टर एवं ख0नं0 1787/2008 रकबा 0=7600 हैक्टर में आवागमन अर्थात आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, अत्यांतिक आवश्यकता एवं निकटतम रास्ते से कम दूरी का यही वैकल्पिक रास्ता है जिसका सुविधाजनक उपयोग हेतु उपयोग/उपभोग नहीं हो रहा है। फलतः धारा 251 ए के तहत् वर्णित तीनो बिन्दु बखूबी प्रमाणित है। लिहाजा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0 एक्ट 1955 अधिवक्ता मय प्रार्थी स्वीकार योग्य होने स्वीकार किया जाना तथा प्रतिकर की वांछित/देय राशि अप्रार्थीगण को प्रावधानुरूप भुगतान किये जाकर रास्ते हेतु भूमि उपलब्ध करवाये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा–साण्डिया में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 1787 व 1787/2008 कुल किता 2 रकबा 1.9200 है0 बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि, 0.0760 है0 की दोगुणा 1,50,579/–प्रति है0 से 22888/–रू0 उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र0 सं0	ख0नं0	रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि
1	1782	1=7200	शांतिदेवी पत्नि चौथाराम, निरमल कुमार पुत्र चौथाराम, ना.बा.की वलि माता शांति देवी 1/3 हिस्सा सरगरा साकिन साण्डिया राहिन एस0बी0आई0 चण्डावल, चम्पाराम1/6 पुत्र नैनाराम, भवंरी पुत्री शंकरलाल कौम सरगरा	0=0104 (2X52)	3132/–
2	1783	1=8900	सुआदेवी/कुमाराम , सोहनलाल रमेशकुमार पि0 कुमाराम पिरता, लता, शोभा पि0	0=0280 (2X140)	8432/–

उप खण्ड अधिकारी
सोजत

			कुमाराम, राहिन सोहन पुत्र कुम्भा का हिस्सा एस0बी0आई चण्डावल, सुखाराम पुत्र मुकनाराम मेघवाल, साकिन साण्डिया		
3	1784	1=1600	रावत पुत्र धन्ना मेघवाली साकिन साण्डिया	0=0128 (2X64)	3855/–
4	1785	01=000	चौथी देवी पत्नि वीरमराम , जयराम पुत्र वीरमराम मेघवाल साकिन साण्डिया।	0=0128 (2X64)	3855/–
5	1786	1=0500	तिलोकराम पुत्र धन्नाराम मेघवाल साकिन साण्डिया।	0=0120 (2X60)	3614/–

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner